बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–........................./
सं0स0–03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

पटना, दिनांक..............................

प्रेषक :

एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय :– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में अतिरिक्त कुल ₹1400.00 लाख (चौदह करोड़) मात्र के सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–2495, दिनांक–11.07.2016 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अन्तर्गत घोषित रियायते एवं देय सुविधाओं के लिये यथा वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष–2016–17 में अतिरिक्त कुल **₹1400.00 लाख (चौदह करोड़) मात्र** सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. विभागीय राज्यादेश सं0–2492, दिनांक–11.07.2016 द्वारा **₹1970.49 लाख (उन्नीस करोड़ सत्तर लाख उनचास हजार) मात्र** की स्वीकृति के अन्तर्गत विपत्र कोड P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5432, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में **₹1531.68 लाख (पन्द्रह करोड़ एकतीस लाख अड़सठ हजार) मात्र** की स्वीकृति में से **400.00 लाख (चार करोड़) मात्र** एवं विभागीय राज्यादेश सं0–2491, दिनांक–11.07.2016 द्वारा **₹7851.00 लाख (अठहत्तर करोड़ एकावन लाख) मात्र** की स्वीकृति के अन्तर्गत विपत्र कोड P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5432, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में **₹6117.00 लाख (एकसठ करोड़ सतरह लाख) मात्र** स्वीकृत राशि में से **₹1000.00 लाख (दस) करोड़ मात्र की संभावित बचत** है, को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. इस योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा जमा की गई वैट की राशि/प्रवेश–कर की राशि पर कार्यरत एवं नयी औद्योगिक इकाईयों को वाणिज्यकर विभाग द्वारा वैट प्रतिपूर्ति/प्रवेश–कर की प्रतिपूर्ति देय है। वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य की औद्योगिक इकाईयों को पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर वैट मद में जमा राशि के अनुसार वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके लिए आवश्यक निधि उद्योग विभाग द्वारा वित्त–वाणिज्य–कर विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5432, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से **₹1400.00 लाख (चौदह करोड़) मात्र** बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा।

क्रमशः पृष्ट–02...

5. वैट की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, पटना को की जायेगी जो इसे आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अंचलों को आवंटित करेंगे।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला के वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य–कर विभाग होंगे जो वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन के आधार पर संबंधित जिला कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। राशि की निकासी वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक बिक्री–कर/संशोधन–05/2006–/88/CCI पटना दिनांक 21.09.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0 दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

8. इस योजना अंतर्गत वैट की जमा राशि की प्रतिपूर्ति के लिए योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना होंगे।

9. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

10. वित्तीय वर्ष 2016–17 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की अन्तर्गत घोषित रियायतें एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति/खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समेकित रूप से पूर्व में ही ₹58962.00 लाख मात्र सब्सिडी की स्वीकृति एवं ₹46298.80 लाख मात्र की विमुक्ति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 124/टि0 पर, दिनांक–28.06.2016 को प्राप्त है। जिसका मद सं0–14 हैं।

11. बचत की संभावित राशि को वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त राशि **₹1400.00 लाख (चौदह करोड़) मात्र** उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 134/टि0 पर, दिनांक–27.12.2016 को प्राप्त है। जिसका डायरी सं0–5837/IDC, दिनांक–22.12.2016 हैं।

12. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट–142/टि0 पर दिनांक 27.01.2017 को प्राप्त हैं जिसका डायरी संख्या–14/OSD दिनांक–.23.01.2017. है।

13. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.06.98 की कंडिका–2 के अतिरिक्त अन्य निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355/वि0(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

क्रमशः पृष्ट–03...

ज्ञापांकः–......................../
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपि–सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपिः–सभी जिला के वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य–कर विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपिः–. वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–.....431...../
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

पटना, दिनांक–..16.2.17.....

प्रतिलिपिः–महालेखकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तक0, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी–1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा–2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/2/2017
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।